112

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 8-4/2001/आप्र/एक

भोपाल, दिनांक 30 जून, 2001

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्य प्रदेश

विषय :- शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में आरक्षण ।

सन्दर्भ :- इस विभाग का ज्ञाप क्रमांक एफ 8-2/96/आप्र/एक, दिनांक 30 मई, 1997

=x=x=x=x=x=x=

इस विभाग के संदर्भित ज्ञाप दिनांक 30 मई, 1997 के द्वारा यह निर्देश प्रसारित किये गये थे कि राज्य शासन के अधीन समस्त कार्यालयों में सीधी भरती के प्रक्रम में भरे जाने वाले द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नेत्रहीन, बधिर एवं अन्य विकलांगों की नियुक्ति के लिए 6 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाय ताकि एक-एक पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को एवं एक पद अनारक्षित वर्ग को प्राप्त हो सके । शेष दो पद उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में आगामी वर्ष के लिए अग्रणीत (कैरीफारवर्ड) किये जा सकते है । साथ ही, उक्त निर्देशों के साथ वर्तमान में प्रचलित 100 बिन्दु रोस्टर की स्थिति को दर्शाने वाला परिशिष्ट भी संलग्न किया गया था ।

2/ निःशक्त जनों की सभी श्रेणियों को आरक्षण का लाभ प्राप्त हो इस दृष्टि से शासन ने निम्नानुसार निर्णय लिया है :-

(1) निःशक्त जनों के लिए निर्धारित 6 प्रतिशत आरक्षण में से 2 प्रतिशत पद पद नेत्रहीन व्यक्तियों से, 2 प्रतिशत पद बधिर व्यक्तियों से तथा शेष 2 प्रतिशत पद अन्य स्वरूप की विकलांगता के लिए निःशक्तजनों से भरे जाये । निःशक्तजनों के लिए

§1.§ किसी भारती वर्ष में विशिष्ट निःशक्तता श्रेणी के पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर या किसी अन्य पर्याप्त कारण से जो पद रिक्त रह जाते हैं उन्हें आगामी भारती वर्ष के लिए अग्रणीत किया जावेगा । यदि अगले भारती वर्ष भी विशिष्ट निःशक्तता श्रेणी का उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होता है तो पहले तीनों प्रकार की निःशक्त श्रेणियों में परस्पर अदला-बदली कर अग्रणित पदों की पूर्ति की जाय । तीनों श्रेणियों की निःशक्तता का उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति मेंही ऐसे आरक्षित रिक्त पद की पूर्ति संबंधित आरक्षित प्रवर्ग के ऐसे उम्मीदवार से की जाय जो निःशक्त न हो । यही प्रक्रिया अनारक्षित श्रेणी के निःशक्तजन के लिए आरक्षित अग्रणित पद के लिए भी अपनाई जाये ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
[signature] 30/6/2001
§ ए०के०ग्वालियरकर §
उपसचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ8-4/2001/आप्र/एक,
भोपाल, दिनांक 30/06/2001

प्रतिलिपि:- रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म०प्र०जबलपुर ।
2- लोकायुक्त, म०प्र० भोपाल ।
सचिव, लोक सेवा आयोग, म०प्र० इंदौर ।

....निरंतर..

2– राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश, राजभवन, भोपाल ।

सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल ।

सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल ।

3– मुख्यसचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।

4– प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उपसचिव ¶समस्त¶,

5– अवर सचिव¶स्थापना¶/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

6– आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

30-6-2001

¶ ए०डी०ग्वालियर ¶
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

30/6

--